



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-245

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 283785 दिनांक 17/02/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Suresh Chand Bujethia S/o Ram Sahya Meena	श्री नन्द किशोर शर्मा पुत्र श्री इंगरमल शर्मा	87	266.67 SQ. YARD	Private	SWAMI KESHAVAN AND NAGAR Sector/Block-	Sub Division and Reconstitution	आवेदक श्री सुरेश चन्द बुजेठिया पुत्र श्री रामसहाय मीना द्वारा निजी खातेदारी की योजना स्वामी केशवानन्द नगर के भूखण्ड संख्या 87 क्षेत्रफल 133.33 व.ग. का उपविभाजन करवाने हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड की लीजडीड क्रमांक 6292 दिनांक 29.03.2013 को श्री नन्द किशोर शर्मा पुत्र श्री इंगरमल शर्मा के पक्ष में जारी किया गया है। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड के क्षेत्रफल 266.67 व.ग. में से क्षेत्रफल 133.33 व.ग. का उप विभाजन किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

अतः प्रकरण अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आदेशार्थ प्रस्तुत है। उक्त भूखण्ड क्षेत्रफल 266.67 व.ग. का बेचान दिनांक 07.02.2012 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर श्री पवन कुमार सिडाना पुत्र श्री अरविन्द कुमार सिडाना को किया गया। उक्त भूखण्ड में से 133.33 व.ग. भूखण्ड का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 31.08.2012 को श्री लोकेश शर्मा पुत्र श्री बाबु लाल शर्मा को किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड श्री लोकेश शर्मा ने दिनांक 04.04.2018 को अपने भूखण्ड क्षेत्रफल 133.33 व.ग. का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर श्री सुरेश चन्द बुजेठिया पुत्र श्री रामसहाय मीना को किया गया। उक्त भूखण्ड का बेचान एक से अधिक बार है।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Suresh Chand Bujethia S/o Ram Sahya Meena को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत ना करें |